

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / अ0—03—19 / 2021

पटना, दिनांक:—

श्रीमती ऋचांशा ऋजु, राज्य—कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 14.05.2025 से 23.05.2025 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती ऋजु के अवकाश लेखा में (20—10=10) दस दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य—कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / अ0—03—19 / 2021 1987

पटना, दिनांक:—21/05/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहारशरीफ, नालन्दा / राज्य—कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना / अंचल प्रभारी, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ / राज्य—कर संयुक्त आयुक्त—सह—नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य—कर उपायुक्त—सह—एच0आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ऋचांशा ऋजु, राज्य—कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग
बिहार, पटना।